एच.एस.मोहन्ता (भा.व.से.) वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित आदेश

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भाभरा–कट्ठीवाड़ा–खेड़ा मार्ग हेतु ग्राम बड़ाखुटाजा पटवारी हल्का नं. 05 खसरा न. 2057 में 20.800 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई थी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /मा.चि./2021/208 दिनांक 23.10.2021 से प्रदान की गई थी ।

. वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/व्यय/2021/1578 दिनांक 9.12.2021 एवं पत्र क्रमांक/माचि/2022/107 दिनांक 21–01–2022 से अवगत कराया गया है कि कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक 0001/अ–20(1)2021/2000 का पृष्ठा. क्रमांक/521/रीडर/2021 दि. 22.7.2021 से ग्राम बड़ाखुटाजा पटवारी हल्का नं. 05 खसरा नं. 2057 में से 21.0130 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की गई है तथा दो अन्य प्रोजेक्ट जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर मथवाड़ मार्ग हेतु आदेश क्रमांक/ 0002/ अ–20 (1)2021/2000 का पृष्ठा.क्रमांक/522/रीडर/2021 दिनांक 22.07.2021 से ग्राम दित्या का फलिया पटवारी हल्का नं. 13 खसरा नं. 1 मे से 3.7600 हे. तथा आदेश क्रमांक/0025/अ–20(3)/2021–2022 पृष्ठ क्रमांक /869/रीडर/2021 दिनांक 19.11.2021 से ग्राम दित्या का फलिया पटवारी हल्का नं. 13 खसरा नं.1 मे से 1.00 हे. भूमि कुल 25.773 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई है।प्रस्ताव के रकबे में वृद्वि होने के कारण पूर्व में प्रस्तावित 20.800 हे. के स्थान पर 25.773 हे. की 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना आवश्यक होने के कारण पूर्व में आदेश क्रमांक/मा.चि./2021/208 दिनांक 23.10.21 से प्रदाय तकनीकी स्वीकृति को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आदेश

क्रमांक/मा.चि./2022/39 इन्दौर, दिनांक 25/1/22

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03–09–2003 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्राक्कलन की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	योजना का नाम	कार्य स्थल	कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हे0 मे	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	योजना अंतर्गत रोपित पौधों की संख्या (प्रति हे.)	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति
अलीराजपुर	भाभरा	भाभरा–कटठीवाड़ा–खेड़ा, जोबट–नानपुर एवं अलीराजपुर–मथवाड़ मार्ग निर्माण	ग्राम बड़ाखुटाजा पटवारी हल्का नं. 05 खसरा नं. 2057	21.0130	112.10	1000	सागौन, नीम, सिस्सू, खमेर, करंज, महुआ, ऑवला, बांस इमली चिरोल
			ग्राम दित्या का फलिया पटवारी हल्का नं. 13 खसरा नं. 1	4.7600			
योग				25.773			

उक्त व्यय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवंटन के विरूद्ध विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन मान्य रहेगी :–

1. समस्त कार्य मुख्यालय भोपाल एवं वन संरक्षक, (क्षे.) इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा स्वीकृत जॉबदरों पर ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉबदर स्वीकृत न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जावें।
2. फेंसिंग तथा अन्य सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे।
3. स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। अतः प्रोजेक्ट स्थल पर वास्तविक कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता बरतते हुए किया जावे।
4. वनमण्डलाधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कार्य अवधि में अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्लांटेशन जनरल में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

5 तकनीकी प्रशासनिक एवं कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखना परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

6 कार्य के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए किसी विशेष कार्य की मात्रा में संशोधन एवं बदलाव किये जाने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदन उपरान्त कार्य स्थल की परिस्थिती को देखते हुवें बदलाव कर सकेगे। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह बदलाव प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कुल राशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जावेगा। यदि कार्य की मात्रा में संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो वर्ष के अन्त में पुनरिक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जावें। यदि संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है तो यह माना जावेगा कि किया गया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार ही किया गया है। संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

7 शासन तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।

8 प्लांटेशन जनरल कार्य प्रारंभ के दिनांक से संधारित किया जावेगा। इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति प्लांटेशन जनरल में चस्पा की जावें।

9 योजना में जिन कार्यों के माप, डिजाईन तथा चित्र आदि प्रस्तावित है, कार्य संपादित कराने वाले प्रभारी कर्मचारी को प्रदाय किये जावें।

10 योजना का कार्य पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।

11 श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा जारी समस्त श्रम नियमों एवं प्रचलित मजदूरी का पालन किया जावे।

12 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही चयनित प्रजातियों का ही रोपण किया जावें।

13 प्रस्तावित क्षेत्र के **Google earth** का रंगीन मानचित्र प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

14 प्राक्कलन में प्रस्तावित सभी कार्यो को उपचार मानचित्र में दर्शाया जावें।

15 कार्य के दौरान समस्त कार्यों के फोटोग्रॉफ्स लेकर प्लांटेशन जनरल में चस्पा किये जावें। फोटोग्रॉफ्स किस साईट से व किस दिनांक को लिये गये है, फोटो पर स्पष्ट लिखा जावें।

16 जहाँ तक संभव हो ढूँठ ड्रेसिंग एव पौधा रोपण के कार्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जावें। उपरोक्त दोनों कार्यों को पूर्ण रूपेण किये जाने के उपरांत ही भू एवं जल संरक्षण का कार्य किया जावें। भू एवं जल संरक्षण के कार्य में नालों के ऊपर चेकडेम निर्माण की प्राथमिकता दी जावें चयनित नालों को पूर्ण रूपेण उपचार करने के पश्चात ही अन्य नालों का चयन किया जावें।

17 वृक्षारोपण क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कक्ष में किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे बेदखल करने की कार्यवाही के उपरान्त ही वृक्षारोपण किया जावे।

18 वृक्षारोपण स्थल की परिधि में उपलब्ध समस्त मुनारों की मरम्मत एवं पुताई की जावें तथा मुनारा संख्या व निर्देश पेंट के माध्यम से अंकित किये जावें।

19 खाद/निमखली क्रय, उपजाऊ मिट्टी के परिवहन एवं परिवर्तन के व्यय पर मितव्ययिता बरती जावें। उपजाऊ मिट्टी के परिवहन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नही कराया जावें। निर्धारित दूरी से अधिक एवं आवश्यकता से अधिक मिट्टी परिवहन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावें। प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष से उपजाउ मिट्टी प्राप्त की जावें।

20 पौधे अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से प्राप्त करें।

21 प्राक्कलन स्थाई अभिलेख है, जिसे स्पाईरल बाइंडिंग करायी जाकर सुरक्षित रखा जावें।

25.6.22

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक
वन वृत्त इन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक / 2022 / मा.चि / 582 इन्दौर दिनांक 25/1/22

प्रतिलिपि :—

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल अलीराजपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक / माचि / 2021 / 1578 दिनांक 9.12.21 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। अनुमोदित प्राक्कलन की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। प्राक्कलन की एक प्रति संबंधित कार्य प्रभारी को उपलब्ध कराई जावें। प्राक्कलन अवधि समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ–साथ क्षेत्र का मूल्यांकन कर सफलता / असफलता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

3 आदेश प्रति।

संलग्न :—उपरो. अनुमोदित प्रोजेक्ट की प्रति द्वितीयक में

25.01.22

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक
वन वृत्त इन्दौर

मा० चि०/वनि

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल अलीराजपुर
आवक 1271
दिनांक 11.02.22
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

8/2/22

Technical-Sanction-Alirajpur-25012022